28 | प्रा०पत्र | 2017

दिलकुश वगैरह बनाम रीका वगैरह

निर्णय

22-9-22 प्रार्थीगण ने राज. काश्त. अधि. की धारा 88, 89, 188 व राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रस्तुत वाद के साथ एक प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जिसके अनुसार ग्राम लबान स्थित आराजी खसरा सं. 753 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि जो कि पूर्व में नरेश पुत्र लहूर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। एक सड़क दुर्घटना में नरेश पुत्र लहूर की लाओलाद मृत्यु हो जाने पर यह भूमि रीका बेवा नरेश जो नरेश की मृत्यु के एक वर्ष बाद ही भरत मीणा के साथ नाता विवाह कर रह रही है और भरत मीणा के संग सहवास से उसके 5 वर्ष का पुत्र भी है के नाम राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से लगा दी गई। जबकि कानूनन मृतक की विधवा के किसी अन्य से विवाह कर लेने पर उसका अपने मृतक की पति की सम्पत्ति में कोई कानूनन हक अधिकार नहीं रह जाता है एवं सम्पत्ति में अगली श्रेणी के वारिसान का हक होता है मृतक नरेश के भाई हैं इसलिए उनका उक्त भूमि में हक अधिकार है। निहित है मृतक खातेदार की जाति मीणा है जो कि अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है इस प्रकार रीका को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, रीका अप्रार्थी सं.1 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त भी नहीं है वह अपने पति के साथ कोटा रहती है। राजस्व अधिकारियों ने बिना सूचना दिये व बिना मौका जाँच किये रीका से मिली भगतकर गलत नामान्तकरण खोल दिया गया।

राजस्व रिकॉर्ड नाम होने का फायदा उठाकर अप्रार्थिया सं.1 भूमि का रहन क्रय अंतरण कर सकती है।

क्रमशः

तारीख
हुक्म

जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। और निवेदन किया अप्रार्थीया सं.1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र पर एक तरफा सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव किया बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जो अवलोकन पाया गया कि नरेश पुत्र लड्डूर का जन्म 1983 को व मृत्यु 2009 में हो गई। संबंधित विवादित भूमि नरेश पुत्र लड्डूर मीना की मृत्यु उपरान्त विधवा नरेश मीना के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। भूमि के सम्बन्ध में विवाद का निर्णय मूलवाद में से होना है। जिसमें समय लग सकता है ऐसे में वाद की बाहुलता व मौके पर विवाद बढ़ने की सम्भावना है।

अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा अप्रार्थी सं.1 को ता फैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम पापड़ी स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 753 रकबा 1.13 हैक्टर का रहन बेचान नहीं करे। एवं उभयपक्ष मौके व रिकार्ड की ता फैसला वाद यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी